

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनूअल संख्या- 13

मनोरंजन कर विभाग उत्तराखण्ड,
अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के
प्राप्तिकर्त्ताओं की विशिष्टियां ।

छविगृहों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु मनोरंजन कर में छूट दिये जाने के साथ-साथ मल्टीप्लेक्स छविगृहों को भी प्रोत्साहित किये जाने हेतु 05 वर्ष तक मनोरंजन कर में छूट प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त छविगृहों में आधुनिक ध्वनि प्रणाली, एअर कंडीशनिंग/एअर कूलिंग तथा जनरेटर सेट लगाए जाने पर छविगृह स्वामियों को कतिपय शर्तों के अधीन अनुदान अनुमन्य किये जाने हेतु भी शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया है । इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न आमोदों एवं फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट प्रदान की जाती रही है ।

मनोरंजन कर विभाग उत्तराखण्ड, अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं की विशिष्टियां ।

मनोरंजन कर विभाग उत्तराखण्ड, अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं की विशिष्टियां ।